न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नं. [illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पर व मूल वादपत्र में जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
10.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारांन् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज की जाती है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.07.27 10:18:43 IST Reason: SelfAttested 10/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2022	2022 / 0023	04.01.2022	10.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

श्रीमति रूकमणी देवी पत्नी जी.एल. वर्मा आयु 72 वर्ष जाति मीना निवासी मालवीय नगर जयपुर (राज0)

—वादीया

बनाम्

1. सीताराम पुत्र स्व. जयनारायण आयु 50 वर्ष
2. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. जयनारायण आयु 60 वर्ष
3. रामगोपाल पुत्र स्व. जयनारायण आयु 58 वर्ष
4. हरिनारायण पुत्र स्व. जयनारायण आयु 70 वर्ष

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण कोर्ट के पास कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीया अभिभाषक।
श्री बनवारी लाल कुड़ी, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।
श्री हरि प्रसाद गुप्ता, एड0 प्रतिवादी संख्या 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 567/2 रकबा 2.7837 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसके हिस्सा 209/9279 की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि को वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी नम्बर 1 से दिनांक 13.10.2017 को खरीद कर अपने नाम खातेदारी विक्रय लेख अनुसार दर्ज करायी है। वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज हैं। साथ ही स्वंय के नाम विक्रय लेख दिनांक 04.03.2020 को 185.77 वर्गमीटर व अपनी पुत्री इन्दू वर्मा के नाम विक्रय लेख प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 04.03.2020 को 185.77 वर्गमीटर का पंजीबद्ध कराया था जिसका वादीया की पुत्री ने वादीया के हक में उपहार लेख दिनांक 01.07.2020 को करवाया जा चुका हैं व वादीया के पति के नाम विक्रय लेख प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 13.10.2017 को 209 वर्गमीटर का विक्रय लेख कराया गया था, जिसका भी उपहार लेख वादीया के पति द्वारा वादीया के हक में दिनांक 27.12.2021 को पंजीबद्ध कराया जा चुका हैं। इस प्रकार 627 वर्गमीटर + 185.77 + 185.77 + 209 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 1207.54 वर्गमीटर भूमि वादीया की खरीदशुदा एंव कब्जाशुदा भूमि है। उक्त भूमि की वादीया खातेदारी दर्ज कराना चाहती है। यंहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के [illegible] आपसी कौटुम्बिक निपटारा विलेख दिनांक 01.02.1997 के अनुसार [illegible] के साथ प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में बंटवारे में आयी हुई है। [illegible] भूमि का मौके पर जरिये बाहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

बंटवारा कर वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि पर अलग से काबिज है परन्तु भूमि का कोई विधिक व कानूनी बंटवारा नही हुआ है। भूमि का विधिक व कानूनी रूप से बंटवारा कराया जाना व खरीदशुदा भूमि का विक्रय पत्रो के अनुसार खातेदारी वादीया के नाम दर्ज कराया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है ताकि वादीया अपनी खरीदशुदा भूमि का खाता अपने नाम दर्ज करवाकर विधिक बंटवारा कराकर भूमि का समुचित विकास कर सके। उक्त वर्णित भूमि में 627 वर्गमीटर भूमि की वादीया के नाम खातेदारी दर्ज हैं एंव अन्य खरीदशुदा भूमि पर वादीया खरीद के समय से ही पूर्णतया काबिज हैं, जिसकी खातेदारी दर्ज नही हुयी है। इस कारण सम्पूर्ण भूमिया जो खरीदशुदा भूमिया है। उनकी वादीया के नाम खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित है तथा 185.77 + 185.77 + 209 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 680.54 वर्गमीटर भूमि की खातेदारी दर्ज नही है, जो खातेदारी जरिये घोषणा दर्ज किया जाना अति न्यायोचित है। वादीया ने अपनी खातेदारी शुदा एंव खरीदशुदा भूमि का विधिक बंटवारा कराने हेतु वादीया ने पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 1 को कंहा तो वे आजकल आजकल करता रहा व आश्वासन देकर टालता रहा परन्तु अब वर्तमान में वादीया ने प्रतिवादी नम्बर 1 को बंटवारा कराकर वादीया के नाम खातेदारी अलग से बंटवारा अनुसार दर्ज कराने हेतु दिनांक 15.12.2021 को कंहा तो वह आनाकानी व टालमटोल करने लग गया, इससे उसके मन में बदनियति जाहिर होती है। इसी कारण वादीया को यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 उक्त भूमि के सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस कारण उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमि का विधिक बंटवारा हेतु पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 1 को कहा तो वे आजकल आजकल करता रहा व आश्वासन देकर टालता रहा परन्तु अब प्रतिवादी नम्बर 1 ने बंटवारा कराकर वादीया के नाम खातेदारी अलग से बंटवारा अनुसार दर्ज कराने हेतु दिनांक 15.12.2021 को इन्कार होने के कारण वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक आया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें– कि घोषणा इस आशय की पारित की जावे कि वादीया खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 2.7837 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible] 629 वर्गमीटर का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

209/9279 जो वादीया के नाम पूर्व से दर्ज है व 185.77 वर्गमीटर स्वंय की खरीदशुदा व 185.77 वर्गमीटर पुत्री द्वारा खरीद कर वादीया को उपहार लेख में प्राप्त व 209 वर्गमीटर पति द्वारा खरीदशुदा जिसका भी उपहार लेख वादीया के हक में इस प्रकार सम्पूर्ण भूमियो का रकबा 1207.54 वर्गमीटर जो सम्पूर्ण हिस्सो को मिलाकर 120754/2783700 हिस्से का वादीया को काबिज खातेदार घोषित किया जाकर उक्त हिस्से से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम वर्तमान में दर्ज हिस्सा 8443/37116 के स्थान पर 575171/2783700 हिस्से मे नाम दर्ज किया जाकर सम्पूर्ण रकबे में हिस्सा 120754/2783700 अर्थात 1207.54 वर्गमीटर का वादीया के नाम अलग से बट्टा नम्बर डालकर बंटवारा कर नक्शे में अलग से तरमीम करायी जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा में इन्द्राज कराये जाने हेतु उक्त वाद वास्ते घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से श्री बनवारी लाल कुड़ी एडवोंकेट एंव प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 उपस्थित आये एंव जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 5 के सम्मन नोटिस की तामील साधारण तरीके से एंव प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीया ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीया एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीया व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 एंव 2 व 4 ने अपनी – अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उभय पक्षकारान् अधिवक्तागणों ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। वकुलाय उभय पक्षकारान् के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

सहमत होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

वकील वादीया ने प्रकरण के तकारमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 19.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2234/रीडर/2022 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2890/भू.अ./2022 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.06.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पुनः पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 299/भू.अ./23 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में यह अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 567/2 रकबा 2.7837 हैक्टर में खातेदार सीताराम एंव रामगोपाल पुत्रगण जयनारायण द्वारा मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ के रूप में काम में ली जाने हेतु प्लाट काटे हुए होना तथा जहॉं पर प्लाट कटे हुए है वहॉं पर खातेदार हरिनारायण द्वारा जगह चाही गई है। [illegible] ति होने के कारण खातेदारान् हरिनारायण, रामगोपाल, सीताराम [illegible] पृथक विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीया अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीया अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीया काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने – अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने अपनी सहमती प्रकट की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 567/2 रकबा 2.7837 हैक्टर में खातेदार सीताराम एंव रामगोपाल पुत्रगण जयनारायण द्वारा मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ के रूप में काम में ली जाने हेतु प्लाट काटे हुए होना तथा जहॉ पर प्लाट कटे हुए है वहॉ पर खातेदार हरिनारायण द्वारा जगह चाही गई है। ऐसी स्थिति होने के कारण खातेदारान् हरिनारायण, रामगोपाल, सीताराम पुत्रगण जयनारायण का पृथक–पृथक विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

खसरा नम्बर 567/2 के सभी खातेदार हिस्सेदारान् की हक हिस्से में दर्ज अनुसार सम्पूर्ण भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश नहीं किये जाने तथा केवल वादिया के हक हिस्से की भूमि का ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के दर्ज हक, हिस्से अनुसार सभी की भूमि का अलग–अलग भाग दर्शाते हुए बंटवारा प्रस्ताव मँगवाये जाने का पेश किया गया। जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान् को सुना गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों एंव उसके सलंग्न प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 567/2 रकबा 2.7837 हैक्टर में खातेदारान् सीताराम एंव रामगोपाल के द्वारा मौके पर प्लाट काटे जाकर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने तथा प्रतिवादी हरिनारायण के द्वारा काटे गये प्लाटों के स्थान पर बंटवारें में जगह चाही जाने से उसी स्थान पर उक्त खातेदारान् का पृथक–पृथक विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारीज की जाती है। उक्त विवेचन अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में ना[illegible] स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

—: कियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 16.11.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :—

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. रामगोपाल पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि जी0 एल0 वर्मा, हिस्सा 209/9279 जाति मीना निवासी मालवीय नगर जयपुर खातेदार	567/2	2.7837	चाही 1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	3. सीताराम पुत्र जयनारायण हिस्सा 8443/37116 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. हरिनारायण पुत्र जयनारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार				
	योग खाता	किता – 1	2.7837	—	– –

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक

विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि जी0 एल0 वर्मा जाति मीणा निवासी मालवीय नगर, जयपुर खातेदार	567/2/1	0.120754	चाही 1	
	योग खाता		0.120754		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2	1. रामगोपाल पुत्र जयनारायण हिस्सा 695925/1331473 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. सीताराम पुत्र जयनारायण हिस्सा 575171/2662946 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 3. हरिनारायण पुत्र जयनारायण हिस्सा 695925/2662946 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	567/2/2	2.662946	चाही 1		
	योग खाता	किता – 1	2.662946			

नोटः– रास्ते के लिए उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 569/2 की सीमा पर प्रचलित रास्ता है। जो पृथ्वीपुरा अण्डरपास तक जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2890 / भू.अ. / 22 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested